(वाद संख्या–1378/4/24/2019)

05.01.2022

जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी, श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, वरीय उपसमार्हत्ता, सामान्य शाखा, नालन्दा उपस्थित है।

श्री उपाध्याय को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, जिला कृषि कार्यालय, नालन्दा में पदस्थापित कृषि समन्वयक, श्रीमति प्रेमलता कुमारी, के मातृत्व अवकाश में रहने के बावजूद भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य नहीं करने के कारण उसके विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ के निर्देश पर भा0द0स0 की धाराओं–174/ 166/ 188/34 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 55/56 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर उसे प्रताड़ित करने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार शरीफ व संलग्न कागजातों के अनुसार परिवादी के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का क्षेत्राधिकार जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा के स्तर से किया जाता है। परिवादी, श्रीमति प्रेमलता कुमारी, कृषि समन्वयक द्वारा मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन पत्र कब समर्पित किया गया इसकी सूचना स्पष्ट नहीं है। स्वयं जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ द्वारा कृषि निदेशक, बिहार पटना को सूचित किया गया है कि तथाकथित मातृत्व अवकाश से दिनांक–25.11.2019 को लौटने के बाद उसी दिन श्रीमति प्रेमलता कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया है हालांकि वह दिनांक–30.05.2019 से बिना किसी सूचना के मातृत्व अवकाश पर चली गयी थी।

प्रसंगाधीन मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी श्रीमति प्रेमलता कुमारी, कृषि समन्वयक दिनांक–30.05.2019 से 25.11.2019 तक तथाकथित मातृत्व अवकाश में थी, जिसका समर्थन जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा के प्रतिवेदन से होता है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी,

श्रीमति प्रेमलता कुमारी के प्रसव के दौरान उसके नवजात बच्चे की मृत्यु भी हो गयी। परिवादी, श्रीमति प्रेमलता कुमारी, के उपरोक्त अवधि में कार्यालय से उनकी अनुपस्थिति की सूचना उसके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी, बिहार शरीफ को नहीं दी जा सकी, जिस कारण दिनांक–01.10.2019 व दिनांक–02.10.2019 को जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा उसे कार्य से अनुपस्थित पाकर उसके विरूद्ध बिना पीड़िता (परिवादी) का पक्ष जाने एवं सम्बन्धित विभाग से उसके लगातार अनुपस्थित रहने का कारण जाने बिना लहेरी थाना कांड सं0–404/19, दिनांक–03.10.2019 संस्थित करवा दिया गया।

राज्य आयोग के स्तर से परिवादी, श्रीमति प्रेमलता कुमारी के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति/वैधानिकता पर कोई विचार व्यक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन **प्रसंगाधीन मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए व नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ से अपेक्षा है कि वह परिवादी, श्रीमति प्रेमलता कुमारी, के अनुपस्थिति के संबंध में सभी परिस्थितियों का उल्लेख कर पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचित कर दें तथा पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ से अनुरोध है परिवादी के विरूद्ध संस्थित लहेरी थाना कांड सं0–404/19, दिनांक–03.10.2019 के अनुसंधान में, अपने स्तर से, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सकारात्मक निर्णय लें।**

उपरोक्त अनुशंसा के साथ प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ व पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा परिवादी को भी सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक